2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज बुधाराम बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ. संख्या 86/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बुधाराम पुत्र भबूताराम जाट पता अणवाणा रोड़, पी.एच.ई.डी. के पास ग्राम व तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.12.2016 में उसके द्वारा (1) श्री अब्दुल सतार को आपके कार्यालय द्वारा ग्राम बावड़ी के ख. नं. 1565/4 में से वाणिज्यक संपरिवर्तन 140 वर्गमीटर व आवासीय संपरिवर्तन 346 वर्गमीटर आपके आदेश क्रमशः 1149–1150 व 1157–1161 दिनांक 14.08.1992 रूपान्तरण आदेश नक्शा व मूल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 300 दिनांक 08.06.2017 तथ्यात्मक रिपोर्ट हुई, जिसमें व्यक्त किया कि कार्यालय में उपलब्ध सीमित संसाधनों द्वारा रिकॉर्ड की गहन तलाशी की गई परन्तु अपीलार्थी द्वारा मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए तथा इस तथ्य से अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक/राजस्व/17/57 दिनांक 25.01.17 द्वारा डाक से सूचित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेज वर्ष 1992 के है जो पुराने बताये जा रहे है, परन्तु संपरिवर्तन आदेश की पत्रावली संधारित होती है जो स्थाई रिकॉर्ड है अतः पत्रावली कहां गई, एक कमेटी का गठन कर रिकॉर्ड ढूढवाया जाय तथा 15 दिवस में सूचना उपलब्ध कराई जाय। रिकॉर्ड नहीं मिलने पर या गुम होने पर इसके लिए कौन जिम्मेवार है इत्यादि की जांच करें तथा संबंधित कार्मिक की जिम्मेवारी ठहराते हुए उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार भोपालगढ को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	